Present :- Shashi Kant Ojha
Additional Sessions Judge - I,
Gaya

Sessions Trial Case No. -258/2017
State of Bihar Versus Beauty Devi

सजा के बिन्दु पर सुनवाई।

27.07.2026

31. अभिलेख सजा के बिन्दू पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

32. सजा कि बिन्दु पर अभियोजन पक्ष एवं दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

33. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमलेश कुमार सिन्हा का कहना है कि दोषसिद्ध को अपने दो कम उम्र के बच्चों का जिसकी उम्र क्रमशः 4 साल एवं डेढ़ साल है, की हत्या जला कर करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। यह केस विरल से विरलतम् (सबसे दुर्लभ) श्रेणी का है। अतः अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं अपराध से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

34. वहीं दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है तथा दोषसिद्ध पर किसी भी अपराध के लिए पूर्व से दोषसिद्धी का तथ्य नहीं है। दोषसिद्ध एक महिला है। दोषसिद्ध का मामला विरल से विरलतम् की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त आधार पर दोषसिद्ध पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

35. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए धारा , 302 भा0 द0 वि0 तथा अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का पुनः सावधानीपूर्वक संक्षिप्ततः परिशीलन एवं विचार किया। दोषसिद्ध को अपने दोनों बच्चों को जला कर हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई भी तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नही है।

36. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए दोषसिद्ध ब्यूटी देवी को धारा –302 भा0 द0 वी0 के अंतर्गत आजिवन कारावास की सजा दी जाती है साथ हीं साथ 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) की अर्थ दंड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर दोषसिद्ध को अतिरिक्त रूप से चार (04) माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी।

37. दोषसिद्ध द्वारा इस मामले में अन्वेषण, जॉच एवं विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि मुल दंडादेश में समायोजित की जायेगी।

कार्यालय लिपिक दोषसिद्ध ब्यूटी देवी का दोषसिद्धी अधिपत्र जारी करें। कार्यालय लिपिक निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति दोषसिद्ध को निः शुल्क अविलम्ब प्राप्त करावें।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत
(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–
(शशी कांत ओझा)
अपर सत्र न्यायाधीश – I
गया।
दिनांक :– 27.07.2026

लेखापित

ह0/–
(शशी कांत ओझा)
अपर सत्र न्यायाधीश – I
गया।
दिनांक :– 27.07.2026